

दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

-7.24

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 26-7-24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

26<sup>7</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर डिलेवरी रिपोर्ट से प्राप्त हुए जिसे शाप किये गये। विपक्षीगण को कितनी भर्तियाँ रुक रुक कर हावाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का शाप स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शाप पत्र दिया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीटारसीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 254/24 प्रा०पत्र

1- श्री. बंशीलाल 5/0 श्री. हेमावती जोरवाणी निवासी. माण्डल तहसील. माण्डल

-201

बनाम

1- श्री. रतन 5/0 रागा बलाई निवासी. माण्डल तहसील. माण्डल (कॉया)  
(पट्टाधिकार प्रा०पत्र संलग्न)

-111/128

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 संभूराअधिनियम 1958

दिनांक - 26-7-24


आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 संभूराअधिनियम 1958 के तहत प्रस्तुत कर नियन्त्रित किया जा  
ग्राम माण्डल परतदार हल्का माण्डल 1 तहसील माण्डल में उसकी खाते / संयुक्त खाते की  
आराजी नं० 1970 कुल कितना 01 एकड़ 0.8347 हेक्टेयर स्थित है। बादग्रहण भूमि  
के विपक्षीयता के मध्य आराजी मुतदायिशा के सीमा बिन्दु नहीं होने से अर्ध दिन सीमा सबको दिवांगत जलाना होता  
रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-07-24 को मजिस्ट्रेट किया जाकर प्रत्यक्ष जा  
अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि बादग्रहण भूमि प्रार्थी एवं उसके कर्षण काल की होने से पत्थरगढी करने का  
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किया जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए  
नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेशः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 संभूराअधिनियम 1958 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल परतदार  
हल्का माण्डल 1 तहसील माण्डल में उसकी खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 1970  
कुल कितना 01 एकड़ 0.8347 हेक्टेयर भूमि के कर्षण काल सीमा की पृथक् अवलोकनी विधि  
जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किए जाने हेतु नू-अभिलेख निरीक्षण माण्डल  
को 500 रुपये/- कमिश्नर थीस पर कमिश्नर थीस जमा होने पर पत्थरगढी की नैजुदगी में सीमा व कर्षण  
की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुहंतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। कसल सही होने पर  
पत्थरगढी नहीं की जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर निपनानुसार पत्थरगढी की  
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा